कोरोना वायरस अतिआवश्यक

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/विविध/19/ 89 दिनांकः 13 मार्च, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय /निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः बायोमेट्रिक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित है कि वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में समस्त स्टाफ की उपस्थिति बायोमेट्रिक द्वारा दर्ज की जा रही है परन्तु हाल ही देश एवं विदेश में कोरोना वायरस महामारी के रूप में फैल रहा है। इस वायरस को रोकने के लिए विभाग द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

1. कोरोना वायरस को रोकने के लिए समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में न लगाकर उपस्थिति पंजिका में दर्ज करावें।
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जारी एडवाईजरी की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एडवाईजरी के संबंध में विद्यार्थियों एवं अन्य को जागरूक करने का अभियान चलावे। जागरूकता अभियान में यह ध्यान रखा जावे की कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार का भय विद्यार्थियों एवं अन्य में उत्पन्न ना हो।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस की एडवाईजरी निम्न लिंक पर mohfw.gov.in/diseasealerts/noverl-corona-virus उपलब्ध है।

13/3

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/विविध/19/ दिनांकः मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु।

13/3/2020

(डॉ.दीपक मेहरा),
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)